"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 190] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 29 जुलाई 2003—श्रावण 7, शक 1925

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 18 सन् 2003)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 है. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**

(2) यह राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

2. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में,— **धारा 2 का संशोधन.**

(क) खण्ड (ग-एक) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(ग-एक) "केन्द्रीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना है और जिसकी कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां है,"

(ख) खण्ड (जज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(जज) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है, ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए,"

(ग) खण्ड (ठ) में शब्द "भू-बंधक बैंक" के स्थान पर शब्द "विकास बैंक" स्थापित किया जाए,

(घ) खण्ड (गग) का लोप किया जाए.

धारा 16-ग का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 16-ग की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि, किसी सहकारी बैंक के मामले में, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी".

धारा 48 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 48 की,—

उपधारा (5) के खण्ड (दो) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड तथा परंतुक स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(दो) एक पद, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा:

परन्तु, अनुसूचित क्षेत्र में संचालित नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी या बचत सोसाइटी से भिन्न ऐसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा."

धारा 49 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 49 की,—

उपधारा (7-कक) में शब्द "चौबीस" के स्थान पर शब्द "छत्तीस" स्थापित किया जाए.

धारा 58-ख का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 58-ख की उपधारा (3) में शब्द "अधिकरण" के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार" स्थापित किया जाए.

अध्याय दस का प्रतिस्थापन.

7. मूल अधिनियम के "दसवां अध्याय-अधिकरण का गठन" के स्थान पर निम्नलिखित अध्याय स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

दसवां अध्याय-अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन

77. **अपील**-(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील,—

(एक) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी अधिकारी के द्वारा पारित किया गया है, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो, संयुक्त रजिस्ट्रार को होगी :

(दो) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संयुक्त रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, चाहे उसमें रजिस्ट्रार की शक्तियां विनिहित हो या न हो, रजिस्ट्रार को अथवा रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी :

(तीन) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार अथवा अपर रजिस्ट्रार के द्वारा पारित किया गया हो, राज्य सरकार को होगी :

(2) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्रथम अपील के प्रत्येक आदेश की द्वितीय अपील,—

(एक) संयुक्त रजिस्ट्रार के विरुद्ध रजिस्ट्रार अथवा रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत अपर रजिस्ट्रार को होगी :

(दो) रजिस्ट्रार या अपर रजिस्ट्रार के विरुद्ध राज्य सरकार को होगी.

(3) द्वितीय अपील निम्नलिखित आधारों में से किसी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया का पालन करने में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणावगुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो गई हो;

(4) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जाएगी;

परन्तु इस उपधारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायगा.

78. **पुनरीक्षण.**—(1) राज्य सरकार या रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये किसी आवेदन पर, किसी भी समय, निम्नलिखित की वैधता या औचित्य के संबंध में या उसकी कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, उसकी वैधता या औचित्य के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे,—

(एक) किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या पारित किया गया कोई आदेश;

(दो) किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी की समिति या उप समिति के द्वारा की गई कोई कार्यवाही या विनिश्चय या संकल्प या पारित किया गया कोई आदेश;

(तीन) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी द्वारा की गई जांच या कार्यवाही या विनिश्चय या पारित किया गया कोई आदेश;

परन्तु, किसी भी आदेश या विनिश्चय या कार्यवाही आदि को पुनरीक्षण में तब तक फेरफारित या उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों पर सूचना की तामील न कर दी गई हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो;

(2) कोई भी आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत न किया गया हो, और पूर्वोक्त कालावधि की संगणना करने में उक्त आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय छोड़ दिया जाएगा.

79. **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा.—**

इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर—

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो; या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावशील की गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिये आदेश किया गया हो, तथा उसके प्रबंध के लिये प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति की गई हो, वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी.

80. **पुनर्विलोकन.**—राज्य सरकार, अथवा रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वह न्यायसंगत समझे,

परन्तु, हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही किसी मामले को स्वप्रेरणा से लिया जाएगा, जब तक यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार का यह समाधान न हो जाय कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है;

परन्तु यह कि, किसी ऐसे आदेश में तब तक कोई परिवर्तन, संशोधन या उपान्तरण नहीं किया जायगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जायगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिये तथा सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई हो;

परन्तु यह और कि, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन-पत्र पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन तब तक ग्रहण नहीं किया जाएगा जब तक कि वह आवेदन उस आदेश के पारित किए जाने के नब्बे दिवस के भीतर न किया गया हो.

80-क. कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना.—उन समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाइल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान करदे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

80-ख. मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.—धारा 77 एवं 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चत करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अन्तरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा तथा ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा.

80-ग. अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति.—जहां कोई अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन या कोई अन्य आवेदन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिये, यथास्थिति अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के आवेदन-पत्र पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हों.

80-घ. आदेशों के निष्पादन का रोका जाना.—(1) अधिकारी या प्राधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद-उत्तरवर्ती, अपील या पुनरीक्षण के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के पूर्व, किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील या पुनरीक्षण फाइल करने तथा अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो;

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 77 या धारा 78 या धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह समझे,

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निदेश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

80-ङ लंबित मामलों का अन्तरण.—मूल अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के समक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2003 के प्रभावशील होने की तारीख पर लंबित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही राज्य सरकार को अंतरित हो जाएगी.

80-च. कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का जैसा कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश से, प्रत्यायोजित होकर ऐसे क्षेत्रों के भीतर तथा ऐसे प्रकरणों में प्रयुक्त करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें.

8. मूल अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (2) में.— धारा 95 का संशोधन.

खण्ड (छ छ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(छ छ) अपीलें, पुनरीक्षण एवं पुनर्विलोकन पेश करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे."

प्रकीर्ण. 9. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) में शब्द "मध्यप्रदेश भूमि विकास बैंक अधिनियम, 1966 (क्र. 28 सन् 1966)" जहां कहीं भी वह आया हो शब्द "छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000)" स्थापित किया जाए.

निरसन. 10. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (क्र. 4 सन् 2003) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

उद्देश्यों तथा कारणों का कथन

राज्य शासन सहकारिता आंदोलन में और अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा समिति के सदस्यों को सुलभ न्याय उपलब्ध हो सके, को दृष्टिगत रखते हुए, "मूल अधिनियम की कतिपय धाराओं" में संशोधन करने का निर्णय लिया है.

उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए "मूल अधिनियम की कतिपय धाराओं" में संशोधन आवश्यक हो गया है, जो निम्नानुसार है :—

(1) भू-बंधक बैंक के नाम में परिवर्तन होने के कारण मूल अधिनियम की परिभाषाओं में कतिपय परिभाषाओं को स्पष्ट करना.

(2) भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यपेक्षानुसार किसी सहकारी बैंक के पुनर्गठन के मामले में, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी, प्रावधान करना.

(3) गैर अनुसूचित क्षेत्र के संसाधन सोसाइटी के दो उपाध्यक्ष पद में से एक पद अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित रखना, यदि अध्यक्ष पद पर उक्त वर्ग के व्यक्ति निर्वाचित न हो. यदि समिति का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्ग में से निर्वाचित हो जाता है तो उपाध्यक्ष की उक्त पद अनारक्षित हो जावेगा, इससे सभी वर्ग के सदस्य को उचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा.

(4) छत्तीसगढ़ में सहकारी अधिकरण का गठन न होने के कारण अधिनियम के अंतर्गत अपील, पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन आदि में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में शासन, रजिस्ट्रार तथा मैदानी अधिकारियों को यथोचित अधिकार प्रदान करना.

(5) विधान सभा सत्र चालू न रहने के कारण विधेयक के खंड 5 में दर्शित अधिनियम की धारा 49 का संशोधन किया जाना आवश्यक था, जिसे अध्यादेश के माध्यम से संशोधित किया गया.

विधान सभा सत्र 28 जुलाई, 2003 से चालू होने जा रहा है. अतः छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 लोक हित में प्रस्तुत है.

रायपुर,
दिनांक 23 जुलाई, 2003

विधान मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) के सुसंगत उद्धरण

1. **धारा क्रमांक-2 का संशोधन खण्ड (ग-एक)**

"केन्द्रीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है सहकारी भूमि विकास बैंक या कोई अन्य सोसाइटी जिसका क्रिया क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो, और जिसका प्रधान उद्देश्य प्रधान उद्देश्यों को समप्रवर्तित करना और उसी प्रकार की सोसाइटियों के क्रियाकरण के लिए तथा अपने से सम्बद्ध अन्य सोसाइटियों के लिए सुविधाओं का उपलब्ध करना हो और जिसके कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां हो;

2. **खण्ड (ज ज)**

"विकास बैंक" से अभिप्रेत है इस एक्ट के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझा गया कोई सहकारी भूमि विकास बैंक;

3. **खण्ड (ठ)**

"वित्तदायी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अंतर्गत अन्य सोसाइटियों को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना आता है, और उसके अंतर्गत आते हैं, कोई भू-बंधक बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक;

4. **खण्ड (ग ग)**

खण्ड (ग ग) "अधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 77 के अधीन गठित किया गया मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण;

5. **धारा 48 की उपधारा (5)**

संसाधन सोसायटी में एक अध्यक्ष/सभापति और दो उपाध्यक्ष/उप-सभापति होंगे, उपाध्यक्षों/उप-सभापतियों के दो पदों में से—

(एक) एक पद स्त्री द्वारा धारित किया जाएगा, और

(दो) एक पद—

(क) अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न किसी क्षेत्र में सक्रिय किसी संसाधन सोसाइटी की दशा में, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य द्वारा, और

(ख) अनुसूचित क्षेत्र में सक्रिय किसी संसाधन सोसाइटी की दशा में, किसी भी सदस्य द्वारा धारित किया जाएगा:

परन्तु अनुसूचित क्षेत्र में सक्रिय किसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष/सभापति का निर्वाचन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों में से किया जाएगा.

6. **धारा 49 की उपधारा (7 कक)**

उपधारा (7 कक) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसमें कथित किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी या किसी वर्ग को सोसाइटियों की समिति का कार्यकाल समय-समय पर चौबीस मास से अनधिक की कुल कालावधि तक के लिए बढ़ा सकेगी.

7. धारा 58-ख की उपधारा (3)

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा.

8. दसवां अध्याय-अपीलें और पुनरीक्षण अंतर्गत

वर्तमान अधिनियम में दसवां अध्याय-अधिकरण का गठन के अंतर्गत :—

धारा 77. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण.—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से ज्ञात होने वाले एक अधिकरण का गठन इस प्रयोजन से करेगी कि वह अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कि अधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किये जायं या उस पर अधिरोपित किये जायं.

(2) अधिकरण में अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होंगे.

(3) (ए/क) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का अध्यक्ष होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रह चुका हो या कम से कम पांच वर्ष तक जिला न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो.

(बी/ख) अन्य दो सदस्यों में से एक सदस्य सहकारिता विभाग का ऐसा अधिकारी होगा जो संयुक्त रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से निम्न पद श्रेणी का न हो और दूसरा सदस्य कोई ऐसा अशासकीय व्यक्ति होगा जो सहकारी आन्दोलन से घनिष्ठतः सम्बन्ध हो या कोई ऐसा अधिवक्ता या प्लीडर होगा जिसे सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में कम से कम पन्द्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव हो:

परंतु राज्य सरकार उचित समझे तो अधिकरण का गठन एक व्यक्ति से हो सकेगा.

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "अशासकीय व्यक्ति" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य के रूप में अपनी नियुक्ति की तारीख को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण न करता हो.

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाने या अधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य होने के लिए उस दिशा में निरर्हित होगा जबकि वह किसी सोसाइटी की समिति का, जो कि किसी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न हो, सदस्य हो.

(5) (ए/क) अधिकरण का अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य सामान्यतः कम से कम दो वर्ष की और अधिक से अधिक पांच वर्ष की कालावधि तक के लिए, जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध से विनिर्दिष्ट करे पद धारण करेंगे.

(बी/ख) कोई व्यक्ति, जिसने खण्ड (ए) में उल्लिखित की गई कालावधि तक के लिए अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा.

(सी/ग) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा.

(डी/घ) अधिकरण का अध्यक्ष या कोई सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद, नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा जो कि अधिकरण में की उसकी स्थिति से असंगत न हो.

(6) उपधारा (4) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय में, ऐसा अध्यक्ष या सदस्य अपने पद के कर्त्तव्यों का पालन करते रहने के लिए असमर्थ या अयोग्य हो.

परंतु कोई भी नियुक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी समाप्ति के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर उस व्यक्ति को, जिसकी कि नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, न दे दिया गया हो.

(7) (ए/क) यदि अध्यक्ष या सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पदत्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण से रिक्त हो जाय तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण से रिक्त हो जाय तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जायगी जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो.

(बी/ख) जब तक कि अध्यक्ष के पद की रिक्ति उपधारा (1) के अधीन भरी न जाय तब तक ज्येष्ठतम सदस्य अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा.

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाय.

(9) अधिकरण का शक्तियों का प्रयोग तथा उसके कृत्यों का निर्वहन ऐसे न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा जिनका गठन अध्यक्ष द्वारा अधिकरण के सदस्यों में से, जिनमें वह स्वयं सम्मिलित है, किया गया हो :

परन्तु किसी अन्तर्वर्ती आवेदन की सुनवाई एक या अधिक सदस्यों द्वारा, जो कि उपस्थित हों, की जा सकेगी.

(10) ऐसे न्यायपीठों में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे.

(11) जहां किसी मामले की सुनवाई तीन सदस्यों द्वारा की जाय, वहां बहुमत की राय अभिभावी होगी तथा विनिश्चय बहुमत की राय के अनुसार होगा. जहां किसी मामले की सुनवाई समसंख्यक सदस्यों द्वारा की जाय और वे सदस्य अपनी-अपनी राय में बराबर-बराबर बंटे हुए हों, वहां यदि अध्यक्ष उन सदस्यों में से एक सदस्य हो तो, अध्यक्ष की राय अभिभावी होगी और अन्य मामलों में वह विषय सुनवाई के लिए अध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जायगा और उसके विनिश्चय के अनुसार विनिश्चय किया जायगा.

(12) अधिकरण अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे विनियम विरचित करेगा जो इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत हों.

(13) उपधारा (12) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे.

(14) अधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार का आवेदन-पत्र, प्राप्त होने पर किसी ऐसी कार्यवाही के, जिसमें कि कोई अपील उसको न होती हो, अभिलेख में किये ये किसी विनिश्चय या पारित किये गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं का समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा, यदि किसी मामले में अधिकरण को यह प्रतीत हो कि कोई ऐसा विनिश्चय या आदेश उपान्तरित किया जाना चाहिए. बातिल किया जाना चाहिए या उलट दिया जाना चाहिए, तो अधिकरण उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायसंगत समझे.

(15) जहां कोई अपील या आवेदन इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को किया गया हो वहां वह अधिकरण न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या आवेदन-पत्र का विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधा पूर्ण प्रतीत हों, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्दश्यों के लिए या अधिकरण की प्रक्रिया के दुरूपयोग को रोकने के लिये आवश्यक हों.

(16) इस अधिनियम के अधीन, अपील पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अन्तिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

(17) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनुसूची में के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गई है.

77 ए/क. पुनर्विलोकन.—(1) अधिकरण, या तो रजिस्ट्रार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर या किसी हितबद्ध पक्षकार का आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह न्यायसंगत समझे :

परंतु हितबद्ध पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी ऐसा आवेदन-पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायगा जब तक अधिकरण का यह समाधान न हो जाय कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् ही आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या वह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई है जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है.

परंतु यह और भी कि किसी ऐसे आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं किया जायगा या उसका तब तक पुनरीक्षण नहीं किया जायगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने के लिये या ऐसे आदेश के समर्थन में सुने जाने के लिए सूचना न दे दी गई हो.

(2) कोई पक्षकार उपधारा (1) के अधीन पुनर्विलोकन के लिये आवेदन अधिकरण के आदेश की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर करेगा.

77 बी/ख. अधिकरण सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा.— (1) अधिकरण को, इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात् :—

(ए) शपथ-पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत,

(बी) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

(सी) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या उसे पेश किये जाने के लिये विवश करना, और

(डी) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन निकालना.

(2) किसी ऐसे शपथ-पत्र की दशा में, कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा.

78. रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें.—(1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबन्धित है उसे छोड़कर, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल आदेश की अपील—

(ए/क) रजिस्ट्रार को उस दशा में होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो, पारित किया गया हो, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो.

(बी/ख) अधिकरण को उस दशा में होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो.

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरुद्ध द्वितीय अपील अधिकरण को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात् :—

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है, या

(दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण, नहीं हो पाया है, या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रक्रिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणावगुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो गई हो.

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जायेगी;

परन्तु इस उपधारा के अधीन परिसीमाकाल की संगणना करने में उस आदेश की, जिसके कि विरुद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायगा.

78 ए/क. **कतिपय मामलों में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना.**—समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया गया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाइल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

79. **कतिपय मामलों में कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं होगा.**—इस अधिनयम में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर—

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो; या

(दो) समझौता या ठहराव की या पुनर्निर्माण या समामेलन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावशील की गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिये आदेश किया गया हो तथा उसके लिये प्रशासक की नियुक्ति की गई हो,

वहां उसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नहीं होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी.

80. **मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.**—धारा 78 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किन्हीं मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों का विनिश्चय करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अन्तरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों के प्रत्याहृत कर सकेगा तथा ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों के संबंध में स्वयं कार्यवाही कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा.

80. ए/क. **अधीनस्थ अधिकारियों की कार्यवाहियों मंगाने और उन पर आदेश पारित करने की राज्य सरकार और रजिस्ट्रार की शक्ति.**—रजिस्ट्रार किसी भी समय स्वप्रेरणा से या किसी पक्षकार द्वारा किये गये आवेदन पर किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई किसी जांच या कार्यवाहियों का अभिलेख या किसी सोसाइटी की किसी समिति जिसकी अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिये गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है के किसी विनिश्चय को, किये गए किसी विनिश्चय या पारित किए गए किसी आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे अधिकारियों की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकेगा और उसकी जांच कर सकेगा यदि किसी मामले में रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि इस प्रकार

मंगाए गए किसी विनिश्चय या आदेश या कार्यवाहियों को उपान्तरित किया जाना चाहिए, बातिल किया जाना चाहिए या उलटा जाना चाहिए तो रजिस्ट्रार उसके बारे में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो, वह ठीक समझे;

परन्तु इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे पक्षकार को सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो.

परन्तु यह और कि इस धारा के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियां संयुक्त रजिस्ट्रार से निम्न श्रेणी के किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी.

(80. **बी/ख. लंबित मामलों का अन्तरण.**—इस अधिनियम के अधीन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी अधिकरण के गठन की तारीख के अव्यवहित पूर्व यथास्थिति, राजस्व मण्डल या राज्य सरकार के समक्ष लम्बित प्रत्येक अपील या पुनरीक्षण या कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण को अन्तरित हो जाएगी).

धारा 95 की उपधारा (2) में संशोधन

"(छ छ) अधिकरण को होने वाली अपीलों से भिन्न अपीलें पेश करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे."

भगवानदेव ईसरानी
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.